बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि–10.11.2023

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी 38 जिलों में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है। वर्तमान में 11 जिलों यथा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर, रोहतास, पूर्णियाँ, सारण, मुंगेर एवं दरभंगा में संचालित 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में वर्ग–6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाती है।

2. इन आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (PGT प्रशिक्षित) के स्वीकृत पद में से रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, गणित तथा जीव विज्ञान विषय के निम्नांकित रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विद्यालयों से सेवानिवृत्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं विभागीय संकल्प सं0–1292, दिनांक–07.06.2023 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक/स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.07.2015 में विहित हू–ब–हू संविदा नियोजन की अन्य शर्तों के अधीन राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अधीन संविदा नियोजित किये जाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0 सं0	शिक्षकों की श्रेणी	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT)	रसायन शास्त्र	12
2		भौतिकी शास्त्र	12
3		गणित	12
4		जीव विज्ञान	12

3. सेवानिवृत्त शिक्षकों का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07. 2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्ते रहेगी :–
" चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

4.. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा वही देय होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।

6. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है।

7. सेवानिवृत्त शिक्षक संबंधित जिले (किसी एक जिले में) के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में **तिथि–10.11.2023** तक समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

9. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
10. सेवानिवृत शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल न0 विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
11. चयनित शिक्षकों को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यो के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का सम्पादन करना होगा।
12. चयनित शिक्षकों की सेवा/देयता राज्य के किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए होगा।
13. बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
14. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों की सूची, आवेदन प्रपत्र तथा विषयवार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्ति की सूचनाएं विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare पर देखी जा सकती है।

(PR NO.- -------------)

20/10/23
उप निदेशक।

आवेदन–प्रपत्र

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के स्वीकृत पद में से रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, गणित तथा जीव विज्ञान विषय के रिक्त पद के विरूद्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के संविदा नियोजन हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदित पद का नाम :– उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT)
2. आवेदक/आवेदिका का नाम :–
3. पिता/पति का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. सेवानिवृत्ति तिथि :–
6. आधार कार्ड संख्या : [ ]
7. पैन कार्ड न0 :– [ ]
8. लिंग :– पुरूष [ ] महिला [ ] थर्ड जेंडर [ ]
9. दिव्यांग :– हाँ [ ] नहीं [ ]
10. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती–नतीनी:– हाँ [ ] नहीं [ ]
11. आरक्षण कोटि:– सामान्य [ ] अनु0 जाति [ ] अनु0 जनजाति [ ] पिछड़ा वर्ग [ ]
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग [ ] आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग [ ]
12. स्थायी पता :– ग्राम/मोहला/सड़क/शहर ....
    पोस्ट –.............................. थाना:– ....
    ....जिला :–.............................. पिन कोड :–..............................
13. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..............................
    पोस्ट –.............................. थाना:– ....
    जिला :–.............................. पिन कोड :–.............................. मो0 नं0 :– ....
14. शैक्षणिक योग्यता :– स्नातक [ ] स्नातकोत्तर [ ] पी0एच0डी0 (अगर हो तो) [ ]
15. विषय :– रसायन शास्त्र [ ] भौतिकी शास्त्र [ ] गणित [ ] जीव विज्ञान [ ]
16. प्रशिक्षण की स्थिति :– प्रशिक्षित [ ] अप्रशिक्षित [ ]
17. विद्यालय का नाम(राज्य सरकार के विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय) एवं पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है तथा जिस विषय के शिक्षक रहें है, विषय का नाम :–विद्यालय का नाम–..............................
    .... विद्यालय का पता –..............................
    .... विषय –..............................
18. कोषागार/बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं/पी0पी0ओ0न0 (महालेखाकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पी0पी0ओ0 प्रमाण पत्र संलग्न) :–..............................
19. कोई आरोप/दंड यदि हो, तो –..............................

पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

उदघोषणा

(क) मै घोषणा करता/करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.07.2015 एवं विभागीय संकल्प सं0–1292, दिनांक–07.06.2023 की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

दिनांक–

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

D:/Rajneesh ACDC/+ OBC School Post creation/Bigyapan/yp